न्यू साउथ वेल्स का न्यायिक आयोग

न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

शिकायतों (के समाधान) का कार्य

न्यायिक अधिकारी अधिनियम 1986 (अधिनियम) (*Judicial Officers Act* 1986 (the Act)) के तहत आयोग (कमीशन) के कार्यों में से एक कार्य उन मामलों की शिकायतों का समाधान करना है जो वर्तमान न्यायिक अधिकारियों की क्षमता या व्यवहार से संबंधित हैं। आयोग का कार्य शिकायत की समय पर और कुशल तरीके से जाँच-पड़ताल करना है, न कि न्यायिक अधिकारी को अनुशासित करना।

न्यायिक अधिकारी कौन है?

अधिनियम के तहत एक "न्यायिक अधिकारी" का अर्थ है:

- सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या सहयोगी न्यायाधीश
- औद्योगिक संबंध आयोग (इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स कमीशन) का सदस्य
- जिला न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) का न्यायाधीश
- भूमि और पर्यावरण न्यायालय (लैंड एंड एनवायरनमेंट कोर्ट) का न्यायाधीश
- बाल न्यायालय (चिल्ड्रंस कोर्ट) का अध्यक्ष
- मजिस्ट्रेट
- सिविल एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष (सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल)

"न्यायिक अधिकारी" की परिभाषा में न्यायिक कार्यालय में अस्थायी नियुक्तियां नियुक्तियाँ शामिल हैं लेकिन इसमें मध्यस्थ, रजिस्ट्रार, चैंबर रजिस्ट्रार, मूल्यांकनकर्ता, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के सदस्य, कानूनी प्रतिनिधि या अदालत के कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

आयोग के पास संघीय (फ़ेडरल) न्यायिक अधिकारियों या ऐसे व्यक्ति जो अब न्यायिक अधिकारी नहीं है, के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करने की कोई शक्ति नहीं है।

शिकायत करना

शिकायत कौन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे मामले के बारे में आयोग से शिकायत कर सकता है जो न्यायिक अधिकारी की क्षमता या व्यवहार से संबंधित है या संबंधित हो सकती है। यह अदालत में क्षमता या व्यवहार तक ही सीमित नहीं है। शिकायत एन एस डब्ल्यू अटर्नी जनरल (NSW Attorney General) के द्वारा भी आयोग को भेजी जा सकती है।

विधायी आवश्यकताएँ

अधिनियम के अनुसार शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए और उसमें शिकायतकर्ता और संबंधित न्यायिक अधिकारी की पहचान की जानकारी होनी चाहिए। *न्यायिक अधिकारी विनियमन 2022* (*Judicial Officers Regulation* 2022) के अनुसार आवश्यक है कि शिकायत का विवरण वैधानिक घोषणा (statutory declaration) द्वारा सत्यापित किया जाए और इसे शिकायत आयोग के मुख्य कार्यकारी के पास दर्ज कराई जाए।

शिकायतकर्ताओं को सहायता

यदि किसी दुभाषिए की या अन्य भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद कारी के लिए सहायता की आवश्यकता है, तो आयोग इसकी व्यवस्था करेगा।

शिकायतें जो आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं

आयोग किसी मामले की न्यायिक त्रुटि, ग़लती या अन्य कानूनी आधार पर समीक्षा नहीं करता है। उन मामलों की समीक्षा करना अपीलीय अदालतों का कार्य है।

आयोग को न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वतंत्र आयोग' (इंडिपेंडेंट कमीशन अगेन्स्ट करप्शन) के पास उसके द्वारा जाँच किए जाने के लिए भेजना आवश्यक है।

शिकायत की जाँच-पड़ताल

उपयुक्त रूप में शिकायत प्राप्त होने पर, आयोग मामले की प्रारंभिक जाँच करेगा। प्रत्येक मामले में, न्यायिक अधिकारी को इस तथ्य की जानकारी दी जाती है कि शिकायत की गई है और उसे शिकायत दस्तावेज़ की प्रति प्रदान की जाती है।

शिकायत की प्रारंभिक जाँच में अकसर आयोग द्वारा प्रतिलेखों, साउंड रिकॉर्डिंग, निर्णयों, अदालती फ़ाइलों और अन्य प्रासंगिक सामग्री पर विचार करना शामिल होगा। यदि आवश्यक होगा, तो न्यायिक अधिकारी से शिकायत पर जवाब माँगा जा सकता है।

प्रारंभिक जाँच के बाद आयोग को निम्नलिखित में से एक कार्रवाई करनी होगी:

- शिकायत को तुरंत ख़ारिज करदे
- शिकायत को संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रमुख को भेजे
- शिकायत को आचरण प्रभाग को संदर्भित करें।

तुरंत ख़ारिज करना

अधिनियम की धारा 20 के तहत एक या अधिक आधारों पर किसी शिकायत को तुरंत ख़ारिज किया जा सकता है। इसमें ऐसी शिकायतें शामिल हैं जो तुच्छ या निस्सार, परेशान करने के लिए की गई या नगण्य हैं। इसमें उन मामलों के बारे में शिकायतें भी शामिल हैं जो कि अब आगे और विचार करने के लिए उचित ठहराने के लिए बहुत समय पहले

घटित हुए हैं या जहाँ शिकायत न्यायिक या अन्य कार्यवाही से संबंधित है जिसके लिए पर्याप्त अपील या समीक्षा-अधिकारों की आवश्यकता है या थी।
जहाँ किसी शिकायत को तुरंत ख़ारिज कर दिया जाता है, आयोग अपना निर्णय देने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके, शिकायतकर्ता को लिखित रूप में सूचित करेगा और उसमें शिकायत को ख़ारिज करने के कारण बताएगा। न्यायिक अधिकारी को भी आयोग के निर्णय के बारे में लिखित रूप से जानकारी दी जाएगी।

अनेकों शिकायतें जो आयोग द्वारा ख़ारिज कर दी जाती हैं, क्योंकि वे किसी दुराचार का खुलासा नहीं करती हैं, फिर भी न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

शिकायतों की जाँच से प्राप्त प्रतिक्रिया ने आयोग द्वारा संचालित न्यायिक शिक्षा कार्यक्रमों के भावी विकास के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है।

क्षेत्राधिकार के प्रमुख का संदर्भ

जहाँ आयोग द्वारा प्रारंभिक जाँच के बाद किसी शिकायत को ख़ारिज नहीं किया गया है, लेकिन उसकी राय में इस मामले को आचरण प्रभाग में भेजे जाने को उचित नहीं ठहराया जाता है, तो आयोग मामले को संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रमुख के पास भेजा जा सकता है।

आयोग अपने निर्णय के बारे में अधिकार क्षेत्र के प्रमुख को लिखित रूप में सूचित करेगा और सभी प्रासंगिक सामग्री सहित मामले को औपचारिक रूप से विचार करने के लिए उसके पास भेजेगा।

आचरण प्रभाग के पास भेजा जाना

जहाँ आयोग द्वारा प्रारंभिक जाँच के बाद शिकायत को ख़ारिज नहीं किया गया है, और अधिकार क्षेत्र के प्रमुख को नहीं भेजा गया है, तो इसे आचरण प्रभाग को भेजा जाना चाहिए।
आचरण प्रभाग का कार्य आयोग द्वारा भेजी गई किसी विशेष शिकायत की जाँच करना और उसका समाधान करना है।

आचरण प्रभाग द्वारा शिकायत की जाँच

आचरण प्रभाग किसी शिकायत के मामले में सुनवाई कर सकता है। सुनवाई सार्वजनिक या निजी तौर पर आयोजित की जा सकती है, जैसा भी आचरण प्रभाग निर्धारित करे।

आचरण प्रभाग की रिपोर्टें

गवर्नर और अन्य को रिपोर्ट करे

यदि प्रभाग यह राय बनाता है कि मामला उस न्यायिक अधिकारी को पद से हटाने के संसदीय विचार को उचित ठहरा सकता है जिसके बारे में शिकायत की गई है, तो उसे अपने तथ्य और उस राय के निष्कर्षों को बताते हुए गवर्नर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट की एक प्रति आयोग, अटर्नी जनरल (Attorney General) और शिकायतकर्ता

को भी दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के बाद ही प्रदान की जाती है।

क्षेत्राधिकार के प्रमुख को रिपोर्ट करें

यदि प्रभाग की राय है कि मामला पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रमाणित है, लेकिन जिस न्यायिक अधिकारी के बारे में शिकायत की गई है, उसे पद से हटाने के संसदीय विचार को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, तो उसे अपने निष्कर्ष बताते हुए संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रमुख को एक रिपोर्ट भेजनी होगी। रिपोर्ट में यह सिफ़ारिशें भी शामिल हो सकती हैं कि शिकायत के समाधान के लिए क्या क़दम उठाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट की एक प्रति न्यायिक अधिकारी और आयोग को भी उपलब्ध करायी जाती है।

शिकायतों की जाँच की समय-सीमा

आयोग का लक्ष्य सभी शिकायतों का यथाशीघ्र समाधान करना है। शिकायत की जाँच में लगने वाला समय अलग-अलग होगा, और यह आरोपों की गंभीरता और जटिलता पर निर्भर करेगा। आयोग का लक्ष्य शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 12 महीने के भीतर अपनी सभी शिकायत जाँचों को अंतिम रूप देना है।

अधिक जानकारी

शिकायत प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आयोग से टेलीफ़ोन (02) 9299 4421 पर या ईमेल से comments@judcom.nsw.gov.au पर संपर्क करें।

अधिक जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

www.judcom.nsw.gov.au

लेवल 5, 60 कैरिंगटन स्ट्रीट, सिडनी एन एस डब्ल्यू (NSW) 2000

फ़ोन: 61 2 9299 4421

ईमेल: judcom@judcom.nsw.gov.au

न्यू साउथ वेल्स का न्यायिक आयोग